न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—10 / 2022 (2022 / 155) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेनु पिता गोकल तेली निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी की साबिक कृषि आ.सं. 94 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आ.सं. 98 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा आ.सं. 99 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आ.सं. 100 रकबा 19 बिस्वा, आ.सं. 101 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमी साबिक खाता संख्या 414, 452 में स्थित हैं। प्रमाण में साबिक जमाबंदी संवत् 2025 से 2028, 2032 से 2035 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थी की साबिक कृषि भूमी पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी से पहले पूर्व खातेदार भी साबिक कृषि आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की कृषि आराजियात के खाते से लगता हुआ चारभुजा स्थान देह का खाता था जिससे विपक्षी संख्या एक ने रोटेशन की जमाबंदी तैयार करते समय लिपिकीय भूल से प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया हैं संपूर्ण को चारभुजा स्थान देह की कृषि आराजियात में शामिल कर दिया हैं जो बिना किसी विधिक आदेश के होकर गलत है। प्रार्थी की साबिक आराजियात का रकबा 6 बीघा दो बिस्वा हैं तथा चारभुजा स्थान देह की भूमी का रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा हैं। विपक्षी संख्या एक द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के खाते को विलोपित करते हुए संपूर्ण भूमी को चारभुजा स्थान देह के नाम दर्ज कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं जिसे पुनः दुरुस्त कराया जाना न्यायोचित हैं। ग्राम सगरेव में भुप्रबंध होने से प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर 268, 269, 276, 277, 278, 279 कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 हैक्ट कायम किए गए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। भुप्रबंध के बाद भुप्रबंध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमी के खाते को विलोपित करते हुए संपूर्ण भूमियों को चारभुजा स्थान देह के नाम दर्ज कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं भुप्रबंध विभाग को बिना किसी विधिक आदेश के जमाबंदी से प्रार्थी का नाम हटाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे भुप्रबंध विभाग का कृत्य विधि विरूद्ध होकर दुरुस्त किए जाने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सगरेव में स्थित प्रार्थी की नवीन 268, 269, 276, 277, 278 279 कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 हैक्ट को साबिक रेकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार रायपुर से जवाब के रूप में मौका रिर्पोट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 के खाते संख्या 414 पर खसरा नम्बर 94, 96, 98, 99, 100, 102 किता 6 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा खातेदार श्री रूपा पिता गुमाना तेली के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है। इसके आगे जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032 के खाता संख्या 449 पर खसरा नम्बर 94, 98, 99, 100, 101 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी से रूपा पिता गुमाना तेली के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2044 की लिखाई करते समय खाता पास–पास होने से उक्त किता 5 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा की श्री चारभुजाजी के खाते में दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी 2041 से 2044 के खाता संख्या 137 पर उक्त किता 5 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा चारभुजाजी के खाते में होकर विरासत से गोकल पिता रूपा तेली के नाम दर्ज हुआ जमाबन्दी 2045 से 2048 के खाता संख्या 139 पर चारभुजाजी के खाते में गोकल पिता रूपा की विरासत से नेनू पिता गोकल तेली के नाम दर्ज होकर पुजारी के नाम विलोपित किये गये तब से लगाकर अब तक उक्त खसरे चारभुजाजी के खाते में चले आ रहे है जिनके नवीन खसरा नम्बर 268, 269, 276, 277, 278, 279 कुल किता 06 कुल रकबा 1.32 हैक्टयर कायम किये गये मिलान क्षेत्रफल की नकल सलग्न है। जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2039 के रोटेशन में लिखित भुल से उक्त खसरे चारभुजाजी के खाते में दर्ज हो गये चारभुजाजी स्थान देह के खाते में 2009 से अब तक रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा था जो आज भी उक्तानुसार दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबंध होने से गत खसरा नम्बर 94, 98, 99, 100, 101 के नवीन खसरा नम्बर 268, 269, 276, 277, 278, 279 कुल किता 06 कुल रकबा 1.32 हैक्टयर बने जो सही है मिलान क्षेत्रफल की नकल सलग्न है। लिखित भूल से खातेदार नेनू पिता गोकल तेली का खाता चारभुजाजी स्थान देह के खाते में दर्ज हुआ है जो गलत होकर दुरुस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान खसरा नम्बर 268, 269, 276, 277, 278, 279 कुल किता 6 रकबा 1.32 हैक्टयर पर खातेदार नेनू पिता गोकल तेली का ही कब्जा होकर चारभुजाजी स्थान देह से कोई संबंध नहीं है। इस रकबे के अलावा पूर्व में दर्ज रकबा अनुसार चारभुजाजी स्थान देह का रकबा पूरा है। पटवारी हल्का सगरेव व भू अभिलेख निरीक्षक नाथड़ियास से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना में वर्णित आराजियात को चारभुजाजी स्थान देह के नाम के खाते से कम कर खातेदार नेनु पिता गोकल तेली के नाम दर्ज करने की अनुशषा सहित जवाब प्रस्तुत किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मय मौका पर्चा के अवलोकन कर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि ग्राम सगरेव की साबिक जमाबन्दी संवत 2009 में चारभुजाजी स्थान देह के नाम खेवट संख्या 1/1 जमाबन्दी के खाता संख्या 339 पर कुल किता 17 रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जमाबन्दी की नकल पत्रावली में प्रस्तुत है। इसी तरह संवत 2025 से 2028 के रोटेशन की जमाबन्दी खतोनी संख्या 413 पर चारभुजा स्थान देह के नाम भूमि कुल किता 17 रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। उसके बाद खाता संख्या 414 पर रूपा पिता गुमाना तेली के नाम आराजी संख्या 94, 96, 98, 99, [illegible] कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमे से आराजी संख्या [illegible] 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि मांगु पिता कालु धोबी को विकय करने का इन्द्राज [illegible] जमाबन्दी [illegible]नकल पत्रावली में संलग्न है। इसी तरह जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 [illegible] पर चारभुजाजी स्थान देह के नाम भूमि बदस्तुर किता 17 रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि द[illegible] है एवं उसके बाद खाता संख्या 448 को रूपा पिता गुमाना तेली के नाम आराजी संख्या 94, 98, 99, 100, 101 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है एवं उसके खाता संख्या 449 पर आराजी संख्या 96 रकबा 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 9 बिस्वा भूमि केता मांगु पिता कालु धोबी के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी तरह जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के खाता संख्या 439 पर चारभुजाजी स्थान देह के नाम 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। **जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 के खाता संख्या 439 में चारभुजाजी स्थान देह के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड है, इस खाते में गोकल पिता रूपा के नाम दर्ज आराजियात 94, 98, 99, 100, 101 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा एवं केता मांगु पिता गोकल धोबी के नाम दर्ज आराजी संख्या 96 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि को सम्मिलित करते हुए चारभुजा स्थान देह के नाम कुल दर्ज भूमि 99 बीघा 9 बिस्वा के बजाय लिपिकीय त्रुटी से 110 बीघा दर्ज कर दी गई।** इसी तरह आगामी आगामी रोटेशन में भी उक्तानुसार 110 बीघा भूमि चारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी गई जो संवत 2049 से 2052 के रोटेशन तक दर्ज है, उसके बाद तहसील रायपुर में नवीन भू प्रबन्ध होन से नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भी उक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि को चारभुजाजी स्थान देह के नाम खाते में दर्ज कर दी गई तथा उसके बाद वर्ष 1991–92 में राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार पुजारियेा के नाम विलोपित किये गये थे जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की भूमि से भी प्रार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया जिससे सम्पूर्ण भूमि चारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज चली आ रही है।

उपरोक्त विवरण से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर पैतृक भूमि है एवं चारभुजाजी स्थान देह के नाम की भूमि अलग है। संवत 2036 से 2039 की जमाबन्दी रोटेशन लिखते समय तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है को भी चारभुजाजी स्थान देह के खाते में सम्मिलित कर दी गई जो नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भी चारभुजाजी के नाम दर्ज होकर आदिनांक तक चली आ रही है। और इसी के साथ राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र वर्ष 1991 से पुजारियो के नाम हटा दिये गये है जिसके तहत् प्रार्थी खातेदार का नाम भी विलोपित कर दिया जबकि उक्त भूमि चारभुजाजी स्थान देह की नही होकर प्रार्थी के स्वामित्व की है। स्वयं भूमिधारी तहसीलदार रायपुर के द्वारा भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की मानते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज करने की अभिशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का सगरेव के ग्राम सगरेव के नवीन आराजी संख्या 268 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 269 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 276 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 277 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि को चारभुजाजी स्थान देह के बजाय प्रार्थी नेनु पिता गोकल तेली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पत्रावली तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को [illegible] जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

27.04.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—10/2022 (2022/155) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेनु पिता गोकल तेली निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का सगरेव के ग्राम सगरेव के नवीन आराजी संख्या 268 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 269 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 276 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 277 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि को चारभुजाजी स्थान देह के बजाय प्रार्थी नेनु पिता गोकल तेली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

27/04/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested